तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज **हीरालाल वगैरह बनाम भीखाराम वगैरह, मुकदमा संख्या :– 309/2014**	
24.07.2024	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा दाता के खसरा संख्या 246/1306 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा संख्या 244/1305 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा संख्या 247 रकबा 0.9500 हैक्टेयर जुमले रकबा 1.38 हैक्टेयर स्थित है जिसमें आधा हिस्सा प्रार्थीगण एवं शेष आधा हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से में कदीमी से अपने पूर्वजों के समय से लगाकर आज दिन तक निर्बाध रूप से सहज व शांतिपूर्ण काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 उक्त वादग्रस्त आराजी में स्थित नौजी बैवा माडु नाऔलाद होने से उसका हिस्सा हड़पना चाहते थे परन्तु प्रार्थीगण द्वारा विरोध करने से अप्रार्थी संख्या 1, 2 ऐसा करने में सफल नहीं हुए नोजी के नाऔलाद फौत होने पर उक्त वादग्रस्त भूमि में स्थित नोजी के हिस्से की उक्त वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1, 2 को उतराधिकारी को समान रूप से प्राप्त हुई। इस वजह से अप्रार्थीगण नाराज हो गये। नोजी के विरासत का भरा गया फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 383/03.11.2010 को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होने के बाद अप्रार्थी संख्या 1, 2 ने प्रार्थीगण को तहसील कार्यालय सांचौर चलकर भू–विभाजन करने को कहा, इस पर प्रार्थीगण ने सहमति जाहिर की जिस पर दिनांक 11.11.2010 को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सांचौर आये जहां अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को विश्वास में लेकर संयुक्त खातेदारी का बंटवाड़ा तैयार किया बंटवाड़े का मुगालता देकर बंटवाड़े के साथ मौजा दाता में स्थित वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के हिस्से का धोखे से हकतर्क करवा लिया परन्तु प्रार्थीगण ने न तो कोई अपने हिस्से की वादग्रस्त आराजी का हकतर्क दस्तावेज पंजीयन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया है एवं न ही प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी को कोई कब्जा अप्रार्थीगण को करवाया है। अप्रार्थीगण अब उक्त आराजी जरिये हकतर्क राजस्व रेकर्ड में नाम करवाने पर बलपूर्वक कब्जा करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रकार तीनों मूलभूत कानुनी स्तंभ प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार होने से प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन एवं मनगंढत होने से खारिज फरमावें। मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **:– आदेश :–** अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा ... की उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड को यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक सांचौर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रैक) सांचौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 15:57:23 IST
Reason: SelfAttested